रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122020-224059 CG-DL-E-31122020-224059

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4205]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 2020/पौष 10, 1942
No. 4205]	NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 2020/PAUSHA 10, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) (विदेश व्यापार महानिदेशालय) अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2020

सं. 53 / 2015-2020

का.आ. 4794(अ).— विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 13 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा निम्निलखित पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 11 के साथ पिठत धारा 13 के तहत् शक्तियों का प्रयोग करने के उद्देश्य से कॉलम (3) में पत्राचार प्रविष्टि में ऐसे अधिकारियों के लिए विनिर्दिष्ट सीमाओं के संदर्भ सिहत नामतः प्राधिकृत करती है:—

क्र सं.	अधिकारी का पदनाम	आयात अथवा निर्यात अथवा वस्तुओं अथवा सेवाओं अथवा प्रौद्योगिकी के संदर्भ में जिसके लिए बिना किसी प्राधिकरण अथवा जारी डयूटी क्रोडिट स्क्रिप मूल्य के बिना आयात अथवा निर्यात की अनुमति दी गई है, के लिए वस्तुओं अथवा सेवाओं अथवा जारी प्राधिकरण, पंजीकरण प्रमाण पत्र/जारी परमिट के द्वारा शामिल की गई प्रौद्योगिकी का मूल्य
(1)	(2)	(3)
1.	अपर महानिदेशक विदेश व्यापार	कोई सीमा नही
2.	संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार	रु. 25 करोड़ तक

6474 GI/2020 (1)

3.	उप महानिदेशक विदेश व्यापार	रु. 10 करोड़ तक
4.	सहायक महानिदेशक विदेश व्यापार	रु. 5 करोड़ तक
5.	विकास आयुक्त, विशेष आर्थिक जोन	निर्यातोंन्मुखी यूनिटों तथा विशेष आर्थिक जोन में यूनिटों के संबंध में कोई सीमा नहीं
6.	नामित अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	सॉफ्टवेयर टैक्नोलोजी पार्क (एसटीपी) तथा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर टैकनोलॉजी पार्क (ईएचटीपी) में यूनिटों के संबंध में कोई सीमा नहीं।

[फा. सं. 01/69/12/49/2018/ओएंडएम]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

पूर्ववर्ती अधिक्रमित अधिसूचनाएं:

- 1. अधिसूचना का.आ. 24(अ) दिनांक 20 जनवरी, 1999
- 2. अधिसूचना का.आ. 194(अ) दिनांक 6 मार्च, 2000
- 3. अधिसूचना का.आ. 106(अ) दिनांक 30 जनवरी, 2006
- 4. अधिसूचना का.आ. 1534 दिनांक 14 सितम्बर, 2006
- 5. अधिसूचना का.आ. (अ) दिनांक 17 सितम्बर, 2009
- 6. अधिसूचना का.आ. (अ) दिनांक 13 जून, 2013

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December 2020

No. 53/2015-2020

S.O. 4794(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) and in supersession of the earlier Notifications mentioned below, the Central Government hereby authorizes the officers specified in column 2 of the table below, with reference to the limits specified against such officers in the corresponding entry in column (3) of the Table below, for the purposes of exercising powers under Section 13, read with section 11 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, namely:-

S. No.	Designation of Officer	Value of goods or services or technology covered by an authorization issued, registration certificate/ permits issued for import or export or in respect of goods or services or technology for which import or export is permitted without any authorization or the value of duty credit scrips issued
(1)	(2)	(3)
1.	Additional Director General of Foreign Trade	Without limit
2.	Joint Director General of Foreign Trade	Up to Rs 25 Crores
3.	Deputy Director General of Foreign Trade	Up to Rs. 10 crores

4.	Assistant Director General of Foreign Trade	Up to Rs 5 crores
5.	Development Commissioner, Special economic Zones	Without limit in respect of Export Oriented Units and units in Special Economic Zones
6.	Designated Officer, Department of Electronics & Information Technology	Without limit in respect of units in Software Technology Parks (STPs) and Electronic Hardware Technology Parks (EHTPs).

[F. No. 01/69/12/49/2018/O&M]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade & Ex-offico Addl. Secy.

Previous Notification which stand superseded:

- 1. Notification S.O. 24(E) dated 20th January 1999
- 2. Notification S.O. 194(E) dated 6th March 2000
- 3. Notification S.O. 106(E) 30th January, 2006
- 4. Notification S.O. 1534 dated 14th September 2006
- 5. Notification S.O. (E) dated 17th April, 2009
- 6. Notification S.O. (E) dated 13th June, 2013